गृहिणी पूरे देश के विकास को देती है गति

- उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
- गृहिणी के घरेलू श्रम का मूल्य 30 हजार प्रतिमाह

नई दिल्ली, 11 जून. उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में गृहणियों के घरेलू कार्य के मूल्य को 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करते हुए कहा है कि गृहिणी का योगदान केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने व्यवस्था दी है कि अब से किसी सड़क हादसे में गृहिणी की मौत होने पर उनके परिवार को घरेलू देखभाल के नुकसान के बदले अलग से कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा. न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क दुर्घटना मुआवजे के मामलों में पत्नी की घरेलू देखभाल के नुकसान को अब मुआवजे का एक अलग आधार माना जाएगा. पीठ ने एक सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित विधुर (पति) को अतिरिक्त मुआवजा देते हुए कहा कि एक गृहिणी न केवल मानव जीवन को बल्कि पूरे देश के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देती है.

> न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला घर संभालने के साथ-साथ नौकरी भी करती है, तो उसकी वास्तविक आय के आकलन के अलावा यह 30,000 रुपये प्रति माह का मुआवजा अतिरिक्त रूप से मिलेगा. न्यायालय ने गृहिणियों को आश्रित कहने की धारणा को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सोचना ही विरोधाभासी है. हकीकत तो यह है कि पूरे घर का कामकाज और व्यवस्था मुख्य रूप से गृहिणी पर ही निर्भर करती है. पीठ ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं का बिना वेतन वाला घरेलू काम देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 15 से 17 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसे अब तक आर्थिक आकलनों में अनदेखा किया जाता रहा है. यह ऐतिहासिक फैसला साल 2001 में दो जीपों की टक्कर में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी.

बिहार में वज्रपात की चपेट में आए 5 लोगों की मौत

खगड़िया. बिहार के खगड़िया जिले में गुरुवार को वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई, तथा कई अन्य लोग झुलस गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के कन्हौली बहियार में आज सुबह बारिश के दौरान वज्रपात होने से पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 62 वर्षीय विधानंद यादव, उनके पुत्र आशुतोष यादव तथा अंकेश कुमार के रूप में की गई है. घटना में कई अन्य लोग भी झुलस गए हैं. सूत्रों ने बताया कि बेलदौर प्रखंड के बलेठा पंचायत अंतर्गत नारदपुर गांव निवासी मणिलाल कुमार की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई.

यूके और यूरोपीय वीजा में भारत का दबदबा

- भारत विश्व में कुशल प्रतिभा निर्यातक, सूची में शीर्ष पर
- भारत के पेशेवरों की वैश्विक मांग में लगातार वृद्धि

वाशिंगटन, 11 जून. गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थानों पर बना हुआ है

अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम में भारत सबसे बड़ा स्रोत देश है, जबकि ब्रिटेन के स्किल्ड वर्कर वीजा और यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड कार्यक्रम में भारत दूसरे स्थान पर है. वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज फर्म डील की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर कुशल पेशेवरों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है और बदलते वैश्विक प्रवासन रुझानों का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है. अब कंपनियां लागत कम करने के बजाय दुर्लभ और उच्च कौशल वाली प्रतिभाओं के लिए अधिक वेतन देने को तैयार हैं.

> रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के गोल्डन वीजा और सामान्य रोजगार वीजा दोनों श्रेणियों में सबसे आगे हैं. वर्तमान में यूएई की कुल आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत है।150 से अधिक देशों में 40,000 से ज्यादा कंपनियों के भर्ती आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि वीजा धारक कर्मचारियों को समान पदों पर काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक भर्ती का मुख्य कारण प्रतिभा की कमी है, न कि कम वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त करना।अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों का औसत वेतन 1.40 लाख डॉलर है, जबकि समान पदों पर अमेरिकी नागरिकों का औसत वेतन 1.30 लाख डॉलर है। ब्रिटेन में स्किल्ड वर्कर वीजा धारकों की औसत आय 96,000 पाउंड है, जबकि स्थानीय नागरिकों की आय 87,000 पाउंड है। यूएई में गोल्डन वीजा धारकों की औसत आय 6.05 लाख दिरहम है, जबकि सामान्य रोजगार वीजा धारकों की आय 4.59 लाख दिरहम है. डील के प्लेटफॉर्म पर भारतीय पेशेवरों की भर्ती में सबसे तेज वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई, जहां साल-दर-साल आधार पर 724 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख अस्पताल में भर्ती

नागपुर/अमरावती. महाराष्ट्र में अमरावती से विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख को बेचैनी महसूस होने के बाद नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।इस घटना ने 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है. यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के कुछ कांग्रेस नेताओं के उन आरोपों के बीच सामने आया है जिनमें कहा गया था कि देशमुख पिछले कुछ दिनों से संपर्क से बाहर थे. जिससे यह शक पैदा हुआ कि विरोधी राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले उन्हें अपने पाले में कर लिया हो सकता है. उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वह बीमार थे और उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था. सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस करने के बाद डॉक्टरी सलाह पर श्री देशमुख की एंजियोग्राफी की गई. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, देशमुख ने कहा कि वे चुनावी मैदान में बने हुए हैं और उन्होंने किसी भी तरह के दबाव या चुनाव से हटने की खबरों का खंडन किया. अस्पताल से बात करते हुए श्री देशमुख ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और भर्ती होने के बावजूद वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए चुनाव प्रचार कर रहे है. खराब सेहत की वजह हाल के दिनों में तेज राजनीतिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को बताया। अमरावती एमएलसी चुनाव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसमें भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पोटे, कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख और वीबीए उम्मीदवार नीलेश विश्वकर्मा मैदान में हैं.

अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

30 किलो हेरोइन बरामद, छह आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर, 11 जून. पंजाब में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की.

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप पंजाब में पहुंचाने का काम कर रहा था. आरोपी निर्धारित स्थानों से हेरोइन की खेप प्राप्त करते थे और बाद में उसे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे.

आरोपियों के खिलाफ थाना छेहरटा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहन जांच जारी है. जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के संपर्कों का पता लगाने, गिरोह से जुड़े नेटवर्क से जुड़े संबंधों को खंगालने में जुटी हुई हैं.

हां मैं बागी हूं : शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी

कोलकाता, 11 जून. तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के भीतर कथित असंतोष और बगावत की अटकलों के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है.

हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने और उन्हें बधाई देने वाली उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. कुछ रिपोर्टों में उनका नाम उन नेताओं की सूची में भी जोड़ा जा रहा था, जिन्हें पार्टी से नाराज माना जा रहा था. अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह अपने विचार खुलकर रखने में विश्वास करते हैं

और अगर किसी की अच्छी बात है तो उसकी सराहना करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना या उनकी किसी उपलब्धि की प्रशंसा करना राजनीतिक निष्ठा बदलने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए. सिन्हा ने कहा कि राजनीति में स्वस्थ संवाद और सम्मान जरूरी है. उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कहा, 'हां, मैं बागी हूं', लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने कहा कि जब उनके राजनीतिक जीवन में कठिन दौर आया था, तब ममता ने उन पर भरोसा जताया.

लगाए चोर-चोर के नारे

तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी को 11 जून को कोलकाता एयरपोर्ट पर विरोध का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विरोध करने वाले लोगों ने 'गो बैक' और 'चोर-चोर' जैसे नारे लगाए और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया.

संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश के खिलाफ लड़ना जरूरी

नई दिल्ली, 11 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को भी कमजोर किया जा रहा है जिनके खिलाफ सख्ती से लड़ने की जरूरत है.

श्री खरगे ने गुरुवार को यहां इंदिरा भवन में कांग्रेस महासचिवों, विभिन्न राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिला दिया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्वयं प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है.

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, ईसी दोषी : राहुल

नई दिल्ली, 11 जून. राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सीट चोरी बताया. प्रतिपक्ष नेता राहुल गाँधी ने सोशल मीडिया एक्स पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द करने

को लेकर बीजेपी और ईसी की मिलीभगत बताया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद, अब बीजेपी और ईसी की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे देखिए. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था. फिर भी, ईसी ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	94031338	संपत्ति के बदले ऋण	27-05-2026	10,01,408.59/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. जीवन लाल पाटीदार 2. जगदीश देवराम 3. तुलसी बाई

संपत्ति का पताः वह पूरी प्रॉपर्टी/जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, पीएच नं. 56, लैंड सर्वे नंबर 728/1/2, ग्रामः चिरोला, तहसीलः खाचरोद, ज़िलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456313 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः बद्रीलाल, पश्चिमः रामकरण, उत्तरः सड़क, दक्षिणः बद्रीलाल।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 12.06.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री संजय कुमार ताम्रकार श्रीमती विमला (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10623264)	प्लॉट नंबर 296, मालव कुंज, सर्वे नंबर 425/2, ग्राम सेजवाय, ज़िला धार, मध्य प्रदेश, भारत (पिन कोड 454773) के उत्तरी हिस्से में स्थित पूरी प्रॉपर्टी; प्रॉपर्टी का प्रकार; प्रॉपर्टी का क्षेत्रफलः 400 वर्ग फीट।	रू. 10,57,922/- दस लाख सत्तावन हजार नौ सौ बाईस मात्र	16-03-2026	09-06-2026
श्री लोकेश राव श्री मनोज राव श्रीमती पूजा राव श्रीमती सीता बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10258904)	प्लॉट नंबर 430 का पूर्वी हिस्सा, अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम-जामबुर्डी हाप्सी, तहसील-हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश 453112 में स्थित प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा; प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): 400	रू. 15,00,629/- (पंद्रह लाख छह सौ उनतीस मात्र)	16-03-2026	09-06-2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करेंः ब्रांच ऑफिस - 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर - 452001, मध्य प्रदेश / या कॉर्पोरेट ऑफिस - प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 12.06.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

कब्जा नोटिस (सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों को। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1) दिनेश वर्मा (आवेदक), 2) संतोषबाई वर्मा (सह-आवेदक-1), पताः प्लॉट नं. 33, सरल नं.175, वार्ड नं.16 (नया नं. 21), कमल नेहरू वार्ड, खातीपुरा रोड, तहसील और ज़िला शाजापुर (म.प्र.) 465001 डिमांड नोटिस की तारीखः 13 मार्च 2026, ऋण खाता सं. 4021060000294950 (PR01319753) और 4021060000312515 (PR01346380)	प्लॉट नं. 33, सरल नं. 175, वार्ड नं.16 (नया नं. 21), कमल नेहरू वार्ड, खातीपुरा रोड, तहसील और ज़िला शाजापुर (एमपी) 465001 में स्थित 616.05 वर्ग फुट की प्रॉपर्टी। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः किशोर खत्री का घर, पश्चिमः सड़क और मालवीय जी का घर, उत्तरः यश कुमार खत्री का घर, दक्षिणः विलेश व्यास का घर। सांकेतिक कब्जे की तारीखः 09 जून, 2026।	रू. 20,41,037/- (बीस लाख इकतालीस हजार सैंतीस मात्र) 24 फरवरी 2026 तक और साथ ही 25 फरवरी 2026 से बिना लगाया गया ब्याज,

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः शाजापुर (म.प्र.) 465001, दिनांकः 12.06.2026 **एसडी/- अधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा जिला मन्दसौर

क्रमाक / मंडी/ निर्माण / 2026-27/46 भानपुरा दिनांक 10/06/2026

बी. ओ. टी. तौलकांटा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा द्वारा मुख्य मंडी प्रागण मे ई टेण्डर प्रणाली के माध्यम में स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एंव संचालक हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 12/06/2026 समय प्रातः 11:00 बजे से दिनाक 06/07/2026 समय 05:00 बजे तक आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है! निविदा प्रपत्र एंव अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किए जाने तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार हैः-

सिस्टम क्र.	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम राशि रूपये	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM _514574_1	मंडी प्रागंण भानपुरा	60 मेट्रिक टन	25000/-	163500/-	5000/-

नोटः- आवश्यक होने पर उपभोक्ता निविदा सूचना से सम्बधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल ऑनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा
जिला - मन्दसौर

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा
जिला - मन्दसौर

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर जिला - उज्जैन (म.प्र.)

E mail add.-awmbarujj-mp@nic.in

क्रमांक / मंडी/निर्माण/26-27/424 बडनगर दिनांक 09.06.2026

अनाज मंडी प्रांगण नवीन एवं पुराना तथा सब्जी मंडी प्रांगण की साफ-सफाई हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसम्बधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर जिला उज्जैन के अंतर्गत अनाज मंडी प्रांगण नवीन एवं पुराना एवं सब्जी मंडी प्रांगण में स्थित ऑक्शन प्लेट फार्म खुला एरिया; केन्टीन शोचालय, सड़के, नालियाँ आदि की साफ-सफाई एवं कूड़ा करकट उठाने एवं प्रांगण से बाहर नगर पालिका बड़नगर द्वारा नियत स्थान पर फेंकने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत ठेका दिया जाना है। इस हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई - निविदा के पोर्टल http://www.mptendrs.gov.in/nicgep / app पर प्राप्त होगी जिसका सिस्टम निविदा कमांक 2026_MPSAM_513902_1, 2026_MPSAM_513903_1 है। उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

इस हेतु इच्छुक संस्था अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में अनाज मंडी प्रांगण नवीन एवं पुराना तथा सब्जी मंडी प्रांगण हेतु पृथक-पृथक उपरोक्त मंडी बोर्ड के पोर्टल पर दिनांक 12.06.2026 से दिनांक 02.07.2026 तक अपलोड करते हुऐ 03 लिफाफा पद्धति अनुसार कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बडनगर में, दिनांक 03.07.2026 को कार्यालयीन समय में 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदां दिनांक 06.07.2026 को अपरान्ह में खोली जावेगी।

साफ सफाई कार्य हेतु धरोहर राशि रू 1,00,000/- रुपये रहेगी जो एफ. डी. आर के रूप में रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर के नाम देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। धरोहर राशि की एफ. डी. आर एवं योग्य पात्रता होने पर ही ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी।

आवेदन पत्र एवं समस्त शर्तें कार्यालय उपज कृषि उपज मंडी समिति बडनगर में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बड़नगर जिला- उज्जैन (म. प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
बड़नगर जिला- उज्जैन (म. प्र.)

DS CROP SCIENCE

74/2/2, Lasudiya Mori, Dewas Naka, Indore (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **DS CROP SCIENCE.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (PURNA BALANCE 19:19:19)
(2) N.P.K. (20:20:20) (PURNA IMPULSE 20:20:20)
(3) N.P.K. (13:40:13) (PURNA NUCLEUS 13:40:13)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile : 88274-69922, E-mail : dscropscience@gmail.com

KRISHI DARPAN AGRO PVT. LTD.

Survey No. 10/1/2, Dhannadkhurd, Ward No. 2, Pithampur, District Dhar (M.P.)

In pursuance to the Order No.2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **KRISHI DARPAN AGRO PVT. LTD.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (K DARPAN 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (K DARPAN 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (K DARPAN 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile : 98263-00888, E-mail : kdarpanagroindia@gmail.com

संत सिंगाजी शासकीय महाविद्यालय, मूंदी जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक. /2026 दिनांक. 11.06.2026

निविदा सूचना

प्राचार्य संत सिंगाजी शासकीय महाविद्यालय, मूंदी, जिला खंडवा द्वारा प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- निविदा क्रमांक : 2026_HED_514780_1
- निविदा प्रारंभ दिनांक : 11.06.2026
- निविदा समापन दिनांक : 04.07.2026

निविदा दस्तावेज, शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी. टेंडर पोर्टल [www.mptenders.gov.in] पर उपलब्ध है। इच्छुक एवं पात्र निविदाकार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राचार्य को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्राचार्य
संत सिंगाजी शासकीय महाविद्यालय
मूंदी जिला खण्डवा (म.प्र.)

चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट ऑफिसः "चोला क्रेस्ट", C54 और 55, सुपर B-4, तिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032.

कब्जे का नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13[2] के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैंने 18.03.2026 को एक डिमांड नोटिस (लोन अकाउंट नंबर PR00041008 और TL01IND000061000) जारी किया था। इसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता 1. M/s. साई ग्राफिक्स (उधारकर्ता), 2. श्री लोकेन्द्र विश्वकर्मा (सह-उधारकर्ता), 3. श्रीमती शिवानी विश्वकर्मा (सह-उधारकर्ता) से नोटिस में बताई गई कुल रकम चुकाने के लिए कहा गया था। यह रकम 17.03.2025 तक कुल रू. 3,10,48,091/- [तीन करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार इनक्यान्वे मात्र] थी, जिसमें लोन नंबर PR00041008 के लिए रू. 1,85,29,255/- और लोन नंबर TL01IND000006100 के लिए रू. 1,25,18,836/- शामिल थे, साथ ही उसके बाद का ब्याज और शुल्क भी देना था। यह रकम नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकानी थी।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि मैंने, एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 09 जून 2026 को नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (secured assets) को छुड़ाने (redeem) के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं। खास तौर पर उधार लेने वाले / सह-उधारकताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चार्ज (दावे) के अधीन होगा। यह चार्ज कुल रू. 3,10,48,091/- [तीन करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार इनक्यानवे मात्र] का है 17.03.2025 तक, जिसमें लोन नंबर PR00041008 के लिए रू. 1,85,29,255/- और लोन नंबर TL01IND000006100 के लिए रू. 1,25,18,836/- की राशि शामिल है।

अचल संपत्ति का विवरण

आइटम नंबर 1: गाँव धामनोद, तहसील धर्मपुरी, ज़िला धार में सर्वे नंबर 57/3/1 की जमीन का एक हिस्सा (जिस पर टिन शेड बना है), कुल जमीन का एरिया 3000 वर्ग फीट (278.7 वर्ग मीटर) है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः नारायणसिंह चौहान का घर और झूलेलाल मंदिर, उत्तरः टीकाराम डोंगले का प्लॉट, दक्षिणः पवन अग्रवाल का प्लॉट।

आइटम नंबर 2: सेटलमेंट नंबर 221, PHN-25 (नया) और PHN-27 (पुराना), वार्ड नंबर 8 (पुराना) और 10 (नया), सती विहार कॉलोनी, धामनोद, तहसील धर्मपुरी, ज़िला धार, मध्य प्रदेश 454552 में स्थित रिहायशी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा।

दिनांकः 09.06.2026
स्थानः धार

अधिकृत अधिकारी
मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड